

प्रेस-विज्ञप्ति
बिहार पुलिस मुख्यालय
दिनांक-21.07.2023 (सं0-348)

वर्ष 2023 की प्रथम छमाही में बिहार पुलिस द्वारा त्वरित विचारण के अधीन अपराधकर्मियों की करायी गई दोषसिद्धि



Highlights

- ✓ 2098 काण्डों में 4114 अभियुक्तों की दोषसिद्धि।
- ✓ 02 अभियुक्तों को फाँसी की सजा।
- ✓ 480 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा।
- ✓ 379 अभियुक्तों को 10 वर्ष या उससे अधिक की सजा।
- ✓ पाँक्सो के 397 काण्डों में 485 अभियुक्तों की दोषसिद्धि।
- ✓ बलात्कार के 143 काण्डों में 174 अभियुक्तों की दोषसिद्धि।

कानून का राज स्थापित करने, पीड़ितों को न्याय दिलाने, अपराधियों को उनके कुकृत्यों की सजा दिलाने की नीति के क्रियान्वयन के क्रम में बिहार राज्य में वर्ष 2023 की छमाही में कुल 2098 काण्डों में 4114 अपराधकर्मियों को दोषसिद्ध कराया गया है। त्वरित विचारण के अधीन अपराधकर्मियों की करायी गई दोषसिद्धि का ब्योरा निम्नलिखित है:-

अपराध शीर्षवार दोषसिद्धि

शीर्ष	आम्स एक्ट	हत्या	डकैती	लूट	अपहरण	बलात्कार	एस0सी0 एस0टी0 अधिनियम	पाँक्सो अधिनियम	विविध	कुल
काण्डों की संख्या	197	204	06	34	24	143	54	397	1929	2988
दोषसिद्ध अपराधकर्मियों की संख्या	241	489	06	48	32	174	128	485	2511	4114

सजा का प्रकार

शीर्ष	फाँसी	आजीवन कारावास	10 वर्ष या 10 वर्ष से अधिक	10 वर्ष से कम	2 वर्ष से कम	कुल
दोषसिद्ध अपराधकर्मियों की संख्या	02	480	379	976	2277	4114

वर्ष 2023 की छमाही में अधिकतम संख्या में अपराधकर्मियों को दोषसिद्ध कराने वाले जिलों की सूची (डॉट फटकार एवं जुर्माना छोड़कर)

क्र0सं0	जिला	दोषसिद्ध अपराधकर्मियों की संख्या
1	पटना	797
2	भोजपुर	371
3	समस्तीपुर	284
4	बक्सर	162
5	औरंगाबाद	157
6	भागलपुर	141
7	सुपौल	126
8	रोहतास	124
9	कटिहार	109
10	मधुबनी	102

1. करगहर थाना (रोहतास) काण्ड सं0 88/09, धारा 448/376/302 भा0द0वि0 में अभियुक्त साहीद को मृत्युदण्ड की सजा।
2. आरा नगर थाना (भोजपुर) काण्ड सं0 24/15, धारा 3/4/55 विस्फोटक अधिनियम एवं 302/307/326/353/120 (बी0)/224/224/303/216 भा0द0वि0 में अभियुक्त लम्बू उर्फ मुन्ना शर्मा उर्फ सचिदानन्द शर्मा को फाँसी की सजा।
3. के0 नगर थाना (पूर्णियाँ) काण्ड सं0 39/13, धारा 147/148/149/323/427/342/428/307/302/120 (बी0) भा0द0वि0 में 35 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा।
4. मोहनियाँ थाना (कैमूर) काण्ड सं0 268/20, धारा 364/302/201/34 भा0द0वि0 में अभियुक्त अमिताभ बच्चन भारती को आजीवन कारावास की सजा।
5. महिला थाना (कैमूर) काण्ड सं0 82/19 धारा 376डी/366/201 भा0द0वि0 में अभियुक्त 1.मो0 शहनवाज उर्फ सोनू 2. सिकन्दर अंसारी को 35-35 वर्ष कारावास की सजा। इस काण्ड में अभियुक्तों के द्वारा अपहरण कर पीड़िता के साथ गैंग रेप किया गया था। दोनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के द्वारा 35-35 वर्षों की सजा सुनाई गई।

XXXXX